**राजस्थान सरकार**
**वन विभाग**

क्रमांकः जयपुर, दिनांकः

## विज्ञप्ति

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 202/1995, आई.ए. संख्या 41723/2022 में ओरण एवं पारिस्थितिकी क्षेत्रों को डीम्ड फॉरेस्ट घोषित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रदत निर्देशों के क्रम में **दौसा जिले** की संलग्नक में अंकित भूमियों को डीम्ड फॉरेस्ट घोषित किया जाना प्रस्तावित है।

इस विज्ञप्ति के माध्यम से जन साधारण एवं सभी संबंधित को सूचित किया जाता है कि यदि वे इस संबंध में कोई आपत्ति, सुझाव इत्यादि देना चाहे तो वे अद्योहस्तक्षारकर्ता अथवा जयपुर संभाग के मुख्य वन संरक्षक के ई–मेल ccf.jpr.forest@rajasthan.gov.in (फोन नं. 0141–2710524) एवं दौसा जिले के उप वन संरक्षक के ई–मेल dcf.dausa.forest@rajasthan.gov.in (फोन नं. 01427–223304) को दिनांक 03.03.2024 तक लिखित रूप में भेज सकते हैं। प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों पर उचित निर्णय के पश्चात इन भूमि को डीम्ड फॉरेस्ट के रूप में घोषित करने हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित कर दिये जायेंगे। उक्त आपत्तियां विभाग के ई–मेल apccf.prot.forest@rajasthan.gov.in पर भी प्रेषित कर सकते हैं।

### अनुसूची (डीम्ड फोरेस्ट)

| क्रम संख्या | जिला | तहसील | गांव | खसरा संख्या | भूमि किस्म | स्वामित्व | क्षेत्रफल (हैक्टेयर में) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | दौसा | बस्वा | करनावड़ | 356 & 357 | पहाड़ी | राजस्व विभाग | 8 |
| 2 | दौसा | सैथल | तीतरवाड़ा कलां | 1584 | पहाड़ी<br>पहाड़ी | ग्राम पंचायत चारागाह | 40 |
| 3 | दौसा | सैथल | रामपुरा | 168, 134, 1388/143 | समतल | राज्य सरकार<br>राज्य सरकार | 10 |
| 4 | दौसा | कुन्डल | कलोटा | 927 | पहाड़ी<br>पहाड़ी | राज्य सरकार<br>राज्य सरकार | 3 |
| 5 | दौसा | बहरवांडा | कालाखेाह अम्बाड़ी | 16 | पहाड़ी<br>पहाड़ी | ग्राम पंचायत चारागाह, मन्दिर माफी | 4 |
| 6 | दौसा | मण्डावर | मण्डावर | 660/2070, 658, 699, 700, 698 | पहाड़ी<br>पहाड़ी | राज्य सरकार, ग्राम पंचायत, मन्दिर, चारागाह | 10 |
| **योग** | | | | | | | **75** |

(पी.के. उपाध्याय)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त),
राजस्थान, जयपुर
कमरा नं. ए–114,
फोन नं.–0141–2700073, 9460296755
ई–मेल–apccf.prot.forest@rajasthan.gov.in